राजस्थान सरकार

नागरिक अधिकार पत्र

कार्यालय

मुख्य निरीक्षक , कारखाना एवं बायलर्स ,राजस्थान, जयपुर
6–सी ,सुरक्षा भवन ,झालाना डूंगरी ,जयपुर

फोन : 0141–2709659 , 2709616 , 2709897, 2710589
फैक्स : 0141–2709659
e-mail Id: www.cifb_hqjpr@redffmail.com
website: www.rajfab.nic.in

राजस्थान सरकार
कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग

<u>नागरिक अधिकार पत्र</u>

<u>उद्देश्य :</u>

राज्य की चहुँमुखी प्रगति में औद्योगिक विकास की अहम भूमिका है। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिकरण को बढावा देने के लिए नये–नये कदम उठाने के फलस्वरूप राज्य के औद्योगीकरण में गति आई है। कारखानों में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग एवं नये रसायनों का उपयोग बढता जा रहा है, जिसके कारण औद्योगिक श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिये भी नई चुनौतियॉ आई हैं। इस विभाग का मुख्य कार्य औद्योगिक श्रमिकों के लिये सुरक्षित कार्यस्थिति एवं स्वच्छ कार्यवातावरण उपलब्ध करवाने हेतु निगरानी करना तथा श्रमिकों को कल्याणकारी सुविधाऍं उपलब्ध कराना है।

<u>विभाग की भूमिका :</u>

- उपरोक्त उद्वेष्यो की प्राप्ति हेतू विभाग द्वारा कारखाना अधिनियम 1948, भारतीय बायलर अधिनियम 1923 एवं वेतन भुगतान अधिनियम 1936 से सम्बन्धित धाराओं, नियमों व उपनियमों की कारखाना प्रबन्धकों से पालना करवाना।
- स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याणकारी प्रावधानों की अनुपालना करवाने हेतु राज्य में स्थापित कारखानों एवं बायलर्स का नियमित निरीक्षण कर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिष्चित करना।
- कारखाना अधिनियम के तहत पंजीयन कर अनुज्ञा –पत्र जारी करना एवं प्रत्येक वर्ष अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण करना ।
- कारखानों में नये स्थापित बायलर्स के पंजीयन सम्बन्धी कार्यवाही करना एवं पूर्व स्थापित बायलर्स का सामयिक निरीक्षण कर प्रमाण–पत्र जारी करना।
- बायलर ऑपरेषन इंजीनियर्स रूल्स एवं बायलर अटेन्डेन्ट्स रूल्स के अन्तर्गत परीक्षाऍं आयोजित करना।
- कारखानों में प्रयोग किये जाने वाले रसायन एवं विषैले पदार्थो की कार्य वातावरण में अनुज्ञेय सीमा सुनिष्चित करना।
- कारखाना प्रबन्धकों, सुपरवाइजरों एवं श्रमिकों में औद्योगिक सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु सुरक्षा प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- राज्य की औद्योगिक नीति में विभागीय दायित्व को लागू करना।

<u>विभिन्न अधिनियमों के तहत श्रमिकों को प्राप्त सुविधाऍं, अधिकार एवं दायित्व</u>

<u>कारखाना अधिनियम, 1948 :</u>

कारखाना अधिनियम ऐसे कारखानों पर लागू होता है जिनमें :

- 10 या अधिक श्रमिक पावर की सहायता से अथवा 20 या अधिक श्रमिक बिना पावर की सहायता से उत्पादन प्रक्रिया पर कार्यरत हों।
- आरा मशीन, कॉटन जिनिंग, केमीकल वर्क्स, ऐसबेस्टोज हैण्डलिंग, क्वार्टज, कियर एवं एल.पी.जी. बाटलिंग करने वाले कारखानों में 10 से कम श्रमिक नियोजित होने पर भी लागू होता हैं ।

अधिकार :

- कार्य पर श्रमिक के स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा से सम्बन्धित जानकारी मालिक से प्राप्त करने का अधिकार।
- श्रमिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कार्य विधि के बारे में प्रषिक्षण प्राप्त करने का अधिकार।
- कारखानों में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण से सम्बन्धित अपर्याप्त व्यवस्था के मामले में निरीक्षक को प्रतिवेदन का अधिकार।
- श्रमिकों के कार्य के घण्टे सप्ताह में 48 व प्रत्येक दिन 9 तक सीमित रखना।
- अधिसमय का सामान्य से दुगनी दर पर भुगतान।
- प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाष।
- प्रत्येक पारी में लगातार 5 घण्टे कार्य करने पर आधे घण्टे का विश्राम।
- 20 दिवस कार्य करने पर एक दिन का सवेतन अवकाष।
- सवेतन अवकाष पुस्तिका प्राप्ति का अधिकार।
- पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था ।
- चालू मषीनों की परीक्षा/लुब्रीकेषन आदि करने वाले निर्धारित श्रमिकों को चुस्त पोषाक ।
- ऑखों के बचाव हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं पर कार्य करने वाले श्रमिकों को समुचित गोगल्स की व्यवस्था।
- परिसंकटमय प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य की नियमित निःषुल्क जॉच की सुविधा।
- प्राथमिक चिकित्सा सुविधा सभी कारखानों में एवं 500 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले कारखानों में एम्बुलेन्स रूम मय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
- सामान्यतया 250 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले कारखानों में श्रमिकों को केन्टीन की सुविधा।
- सामान्यतया 150 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले कारखानों में श्रमिकों के लिए विश्रामगृह, भोजनकक्ष की सुविधा।
- सामान्यतया 30 से अधिक महिला कर्मकार नियोजित करने वाले कारखानों में महिला श्रमिकों के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिशुकक्ष की सुविधा।

- महिला श्रमिकों से सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक कार्य नहीं लिया जाना।
- परिसंकटमय प्रक्रियाओं पर काम करने वाले श्रमिकों को समुचित व्यक्तिगत बचाव उपकरण उपलब्ध करवाया जाना।
- प्रमुख दुर्घटना जोखिम प्रस्तुत करने वाले कारखानों से संभावित खतरों की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का आसपास के प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों को अधिकार।

कारखाना अधिनियम की धारा 111 के अन्तर्गत श्रमिकों का दायित्वः

- कारखाने में श्रमिकों द्वारा सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए उपलब्ध कराये गये उपकरणों व सुविधाओं आदि का जानबूझकर दुरूपयोग एवं हस्तक्षेप नहीं करना।
- जानबूझकर ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे उनके स्वयं या अन्य के खतरें में पड़ने की संभावना हो।
- व्यक्तिगत बचाव उपकरणों की उपेक्षा न करना एवं मशीन गार्ड या बाढ़ आदि को नही हटाना।

भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 :

- यह अधिनियम ऐसे बंद पात्र (Closed Vessels) पर लागू होता है जिसकी पानी की भराव क्षमता 25 लीटर या 1.00 kg/cm2 दबाव पर कार्यरत हो या जो दबावशील वाष्प उत्पन्न करने के लिये विशेष रूप से उपयोग में लाया जाता है और इसके अन्तर्गत ऐसे पात्र का कोई उपर का भाग (mounting) या उसके साथ लगी हुई अन्य फिटिंग्स है जो वाष्प बन्द कर दिये जाने पर पूर्णता या भागतः दबावधीन रहती है ।

मुख्य प्रावधान :

- ऐसे बायलर ही जो इण्डियन बायलर रेगूलेशन, 1950 में वर्णित मापदण्डों के अनुसार बनाये गये हों, चलाये जा सकते हैं।
- ऐसे बायलर बनाने वाली फर्म बायलर का फोल्डर (Boiler inspection data book) , मैन्यूफैक्चरिंग सर्टिफिकेट एवं सर्टिफाइड ड्राइंग्स आदि क्रेता को बायलर के साथ देती है। कारखाना मालिक बायलर के पंजीयन हेतु उक्त मूल दस्तावेज मुख्य निरीक्षक के कार्यालय में मय निर्धारित शुल्क के (परिशिष्ट–अ) प्रेषित करें।
- पूर्व में पंजीकृत बायलर खरीदते समय उनके निरीक्षण हेतु बायलर का पूर्व का प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, निर्धारित निरीक्षण षुल्क (परिशिष्ट–ब) एवं बायलर का रिकार्ड स्थानान्तरण करवाने का आवेदन प्रेषित करें।
- स्टीम पाइप लाइन के नक्षे तीन प्रतियों में मय शुल्क (परिशिष्ट–ब) के प्रेषित करें।
- पंजीकृत एवं प्रमाण–पत्र प्राप्त शुदा बायलर ही कारखाने में चलाया जाए।
- प्रमाण पत्र में स्वीकृत प्रेशर से अधिक पर बायलर नहीं चलाया जाए।

- क्वालीफाइड बायलर अटेन्डेन्ट द्वारा ही बायलर चलाया जाए।
- 7,500 वर्ग फीट रेटिंग से अधिक रेटिंग वाले बायलर को क्वालिफाइड बायलर ऑपरेशन इंजीनियर की देखरेख में ही चलाया जाए।

वेतन भुगतान अधिनियम 1936 :

यह अधिनियम रूपये 10000/— तक मासिक वेतन प्राप्त श्रमिकों पर लागू होता है।

श्रमिक अधिकार :

- निश्चित निर्धारित समय पर वेतन प्राप्त करने का अधिकार।
- वेतन में से अनाधिकृत कटौतियों अथवा वेतन भुगतान नहीं करने की स्थिति में पूर्ण राशि मय क्षतिपूर्ति राशि के पाने का अधिकार।
- वेतन भुगतान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति राशि सहित वेतन पाने का अधिकार।

राज्य की औद्योगिक नीति के तहत विभाग द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत जारी की जाने वाली स्वीकृतियों के लिए समयबद्व निस्तारण की अवधि :

• कारखानों के नक्शों का कारखाना अधिनियम 1948 के तहत अनुमोदन।	नियमानुसार पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से 30 दिवस में।
• कारखाना चलाने बाबत अनुज्ञा—पत्र जारी करना ।	नियमानुसार पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से 15 दिवस में।
• मुख्य निरीक्षक बायलर्स द्वारा बायलर का पंजीयन	नियमानुसार पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्ति पश्चात् मापदण्डों पर सही पाये जाने की स्थिति में।
• प्रोविजनल ऑर्डर	15 दिवस में।
• फाइनल ऑर्डर	45 दिवस में।

उपरोक्त स्वीकृतियों के लिए आवेदन के साथ निम्न सूचनायें/दस्तावेज प्रेषित किए जाएँ।

नक्शों के अनुमोदन हेतु :

- नक्शे तीन प्रतियों में (अमोनिया अथवा ब्लू प्रिन्ट में) निर्धारित पैमाने (साइट प्लान 1:1000 व विस्तृत प्लान एलीवेशन आदि 1:200) में मालिक या मैनेजर के हस्ताक्षर युक्त।
- नक्शों में कारखाना भवन में समुचित प्रकाष व हवा के आवागमन की व्यवस्था, अग्निषमन व्यवस्था, पीने के पानी, शौचालय, पेशाबघर, स्नानघर, वाषिंग सुविधा आदि नक्शों में दिखाई जाए।
- कैन्टीन, रेस्टरूम, शिशुशाला , एम्बुलेन्स रूम एवं ड्रेस चेन्ज रूम आदि की सुविधाऍं नियमानुसार लागू होने पर दर्शाई जाऍं।
- निर्माण प्रक्रिया का स्पष्ट विवरण मय प्रोसेस फ्लो चार्ट ।
- निर्माण प्रक्रिया में काम लिये जाने वाले रसायनिक पदार्थो की सूची मय उनकी भण्डारण क्षमता।
- प्रत्येक पारी में संभावित नियोजित किये जाने वाले पुरूष व महिला श्रमिकों की संख्या ।
- प्रपत्र संख्या 1 पूर्ण रूप से भरकर प्रेषित करे (परिशिष्ट – स)
- रसायनिक व खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों के प्रकरण में निम्न अतिरिक्त सूचनाऍं संलग्न की जाऍं :
  - कारखाने में काम आने वाले रसायनों, इंटरमीडियट्स, सहउत्पाद व अंतिम उत्पादों के काम में लेने, भण्डारण करने एवं इनके हैण्डलिंग में सुरक्षा उपायों पर टिप्पणी। इन रसायनों की मैटेरियल सेफ्टी डाटा शीट भी संलग्न की जाए।
  - निर्माण प्रक्रिया में क्रिटिकल, प्रोसेस पैरामीटर्स जैसे प्रेशर बढना, तापमान का परिवर्तन व केमीकल रीएक्षन आदि की सूचना।
  - प्रमुख दुर्घटना जोखिम प्रस्तुत करने वाले कारखानों द्वारा ऑन साइट इमरजेन्सी प्लान, सेफ्टी आडिट रिपोर्ट एवं नोटिफिकेषन आफ साइट।

<u>लाइसेंस हेतु</u> :

- राज्य सरकार द्वारा नये उद्यमियों की सुविधा हेतु शुरू की गई एकल खिडकी योजना के अन्तर्गत सिंगल कम्पोजिट आवेदन फार्म में भी पंजीयन हेतु आवेदन किया जा सकता है।
- निर्धारित प्रपत्र संख्या 2 (परिशिष्ट–द) तीन प्रतियों में पूर्ण भरकर मय निर्धारित शुल्क (परिशिष्ट –च) के प्रेषित करें।
- नवीनीकरण हेतु एक समय में 1 से 5 वर्ष तक के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दो माह पूर्व, 31 जनवरी तक नवीनीकरण हेतु आवेदन कर देना चाहिए अन्यथा 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क देय।

- विभाग द्वारा पंजीयन एवं स्वीकृतियों के आवेदन के सम्बन्ध में उद्यमियों हेतु निर्देशिका जारी की हुई है जो विभाग के समस्त क्षेत्रीय कार्यालय एंव मुख्यालय एवं जिला उद्योग संघों पर उपलब्ध है।

<u>नवाचार</u>

- राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड) में आने वाले कारखानों को अधिनियम के तहत श्रमिकों के कार्य करने के घण्टों में छूट प्रदान की गई है, जिससे श्रमिकों को आर्थिक लाभ के साथ उत्पादन बढेगा ।
- सभी कारखानों के लिए स्वप्रमाणीकरण योजना को लागू किया गया है ।
- राज्य सरकार द्वारा <u>टैक्सटाईल कारखानों</u> में कार्यरत महिला कर्मकारों को रात्री 10.00 बजे तक कार्य करने के लिए सशर्त छूट प्रदान की गई है ।

विभाग में जन समस्याओं के निस्तारण की समयबद्ध व्यवस्था की हुई है जिसके लिये उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स (मु0), जयपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया हुआ है ।

विभाग के अधिकारियों के नाम, पता व टेलीफोन नम्बर का विवरण परिशिष्ट –छ पर उपलब्ध है ।

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (परिशिष्ट –ज) से सूचना प्राप्त की जा सकती है ।

विभाग की समस्त सूचना विभागीय वैबसाइट www.rajfab.nic.in पर उपलब्ध है।

(परिशिष्ट – अ)

- **बायलर पंजीयन शुल्कः–**

Registration fee.- The required fee to accompany an application under sub-section(1) of section 7 of the Act shall be:-

For boiler rating not exceeding 10 sq. meters	Rs.720/-
For boiler rating exceeding 10 sq. meters but not exceeding 30 sq. meters	Rs.960/-
For boiler rating exceeding 30 sq. meters but not exceeding 50 sq. meters	Rs.1080/-
For boiler rating exceeding 50 sq. meters but not exceeding 70 sq. meters	Rs.1320/-
For boiler rating exceeding 70 sq. meters but not exceeding 90 sq. meters	Rs.1560/-
For boiler rating exceeding 90 sq. meters but not exceeding 110 sq. meters	Rs.1800/-
For boiler rating exceeding 110 sq. meters but not exceeding 200 sq. meters	Rs.2040/-
For boiler rating exceeding 200 sq. meters but not exceeding 400 sq. meters	Rs.2280/-
For boiler rating exceeding 400 sq. meters but not exceeding 600 sq. meters	Rs.2640/-
For boiler rating exceeding 600 sq. meters but not exceeding 800 sq. meters	Rs.2880/-
For boiler rating exceeding 800 sq. meters but not exceeding 1000 sq. meters	Rs.3240/-
For boiler rating exceeding 1000 sq. meters but not exceeding 1200 sq. meters	Rs.3840/-
For boiler rating exceeding 1200 sq. meters but not exceeding 1400 sq. meters	Rs.4320/-
For boiler rating exceeding 1400 sq. meters but not exceeding 1600 sq. meters	Rs.5040/-
For boiler rating exceeding 1600 sq. meters but not exceeding 1800 sq. meters	Rs.5400/-
For boiler rating exceeding 1800 sq. meters but not exceeding 2000 sq. meters	Rs.6000/-
For boiler rating exceeding 2000 sq. meters but not exceeding 2200 sq. meters	Rs.6480/-
For boiler rating exceeding 2200 sq. meters but not exceeding 2400 sq. meters	Rs.7200/-
For boiler rating exceeding 2400 sq. meters but not exceeding 2600 sq. meters	Rs.7560/-
For boiler rating exceeding 2600 sq. meters but not exceeding 2800 sq. meters	Rs.8160/-
For boiler rating exceeding 2800 sq. meters but not exceeding 3000 sq. meters	Rs.8640/-

(परिशिष्ट – ब)

- **बायलर निरीक्षण शुल्कः–**

Inspection fee.- The required fee to accompany an application for inspection of a boiler under sub-section(1) of section 7 of the Act shall be:-

For boiler rating not exceeding 10 sq. meters	Rs.325/-
For boiler rating exceeding 10 sq. meters but not exceeding 30 sq. meters	Rs.450/-
For boiler rating exceeding 30 sq. meters but not exceeding 50 sq. meters	Rs.500/-
For boiler rating exceeding 50 sq. meters but not exceeding 70 sq. meters	Rs.625/-
For boiler rating exceeding 70 sq. meters but not exceeding 90 sq. meters	Rs.725/-
For boiler rating exceeding 90 sq. meters but not exceeding 110 sq. meters	Rs.850/-
For boiler rating exceeding 110 sq. meters but not exceeding 200 sq. meters	Rs.975/-
For boiler rating exceeding 200 sq. meters but not exceeding 400 sq. meters	Rs.1075/-
For boiler rating exceeding 400 sq. meters but not exceeding 600 sq. meters	Rs.1250/-
For boiler rating exceeding 600 sq. meters but not exceeding 800 sq. meters	Rs.1375/-
For boiler rating exceeding 800 sq. meters but not exceeding 1000 sq. meters	Rs.1550/-
For boiler rating exceeding 1000 sq. meters but not exceeding 1200 sq. meters	Rs.1825/-
For boiler rating exceeding 1200 sq. meters but not exceeding 1400 sq. meters	Rs.2050/-
For boiler rating exceeding 1400 sq. meters but not exceeding 1600 sq. meters	Rs.2400/-
For boiler rating exceeding 1600 sq. meters but not exceeding 1800 sq. meters	Rs.2575/-
For boiler rating exceeding 1800 sq. meters but not exceeding 2000 sq. meters	Rs.2875/-
For boiler rating exceeding 2000 sq. meters but not exceeding 2200 sq. meters	Rs.3100/-
For boiler rating exceeding 2200 sq. meters but not exceeding 2400 sq. meters	Rs.3450/-
For boiler rating exceeding 2400 sq. meters but not exceeding 2600 sq. meters	Rs.3600/-
For boiler rating exceeding 2600 sq. meters but not exceeding 2800 sq. meters	Rs.3900/-
For boiler rating exceeding 2800 sq. meters but not exceeding 3000 sq. meters	Rs.4125/-

Above 3000 sq meters , for every 200 sq. meters or part thereof an additional fees of 115/- shall be charged .

(परिशिष्ट – स)

Form no. 1

APPLICATION FOR PERMISSION
To Construct, extend or take into use any Building as a Factory

---

1. Applicants' Name ---
   " Calling ---
   " Address ---
2. Full name & postal address of Factory ---
3. Situation of the Factory : ---

   Province
   District
   Town or village
   Nearest Police Station
   Nearest Railway Station or
   Steamer Ghat

4. Particulars of plant to be installed --

Signature of Applicant
Dated _______ 2008

Note :- This application shall be accompanied by the following documents :-

(a) A flow chart of the manufacturing process supplementd by a brief description of the process in its various stages

(b) Plans in duplicate drawn to, showing –

(i) the site of the factory and immediate surroundings including adjacent buildings other structures, roads, drains etc. and

(ii) the plan elevation and necessary cross sections of the various buildings indicating all relevant details relating to natural lighting, ventilations and means of escapes in case of fire. The plans shall also clearly indicate the position of the plant and machinery, aisles and passage ways, and

(c) Such other particulars as the Chief Inspector may require.

(परिशिष्ट – द)

FORM - 2

(Prescribed under Rules 4)

APPLICATION FOR REGISTRATION AND GRANT OF RENEWAL OF LICENCE FOR THE YEAR .... AND NOTICE OF OCCUPATION SPECIFIED IN SECTIONS 6 AND 7

(To be submitted in triplicate)

1. (a) Full name of the factory with **:**
   Factory licence number
   if already registered before **:**
2. (a) Full postal address and
   situation of the factory **:**
   (b) Full postal address to which
   communications relating to factory
   should be sent **:**
3. Nature of manufacturing process or processes –
   (a) carried on in the factory in the last
   twelve months (in the case of factories
   already in existence); and **:**
   (b) to be carried on in the factory during
   the next twelve months (in the case of
   all the factories) **:**
4. Names and values of principal products manufactured during the last twelve months (in the case of factories already in existence)

	Name	Value
	1.	.... ………
	2.	.... ………
	3.	.... ………

5. Maximum number of workers
   proposed to be employed in any one
   day during the year **:**
   (b) Maximum number of workers employed
   on any one day during the last twelve
   months (in the case of factories
   already in existence) **:**
   (c) Number of workers to be ordinarily
   employed in the factory **:**
6. (a) Nature and total amount of power
   (kilowatts) –
   (i) installed; or **:**
   (ii) proposed to be installed **:**
   (b) Maximum amount of power (kilowatts)
   proposed to be used **:**
7. Full name and residential address of the
   person who shall be the manager of the
   factory for the purposes of the Act **:**
8. Full name and residential address of the

occupier, that is : -

(a) the proprietor of the factory in case of a private firm or proprietary concern **:**

(b) the directors in case of a public limited liability company or firm 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....

(c) (i) the managing agent in case where a managing agent is employed **:**

(ii) the directors of the above managing agent 1. .... 2. .... 3. .... 4. ....

(d) the shareholders in case of a private company where no managing agent is employed, or 1. .... 2. .... 3. .... 4. ....

(e) the chief administrative head in case of a Government or local fund factory **:**

9. Full name and address of the owner of the premises or building (including the precincts thereof) referred to in section 93 **:**

10. In the case of a factory constructed or extended after the date of commencement of the rules –

(a) reference number and date of approval of the plans for site whether for old or new building and for construction or extension of factory by the State Government/ Chief Inspector; and **:**

(b) reference number and date of approval of the arrangements, if any, made for the disposal of trade waste and effluents and the name of the authority granting such approval **:**

11. (a) Amount of fee paid **:** Rs. ....

(b) In case of payment in Treasury -

(i) name of Treasury **:**

(ii) date of payment; and **:**

(iii) challan number(challan to be enclosed) **:**

(c) In case of transmission by crossed cheque -

(i) name of nationalised bank **:**

(ii) crossed cheque number; an **:**

(iii) date of cheque **:**

(Crossed cheque drawn in favour of the Chief Inspector of Factories to be enclosed)

(d) In case of transmission by crossed

postal order -

(i) name of post office **:**

(ii) crossed postal order number; and **:**

(iii) date of postal order **:**

(Crossed postal order drawn in favour of the Chief Inspector of Factories to be enclosed)

Signature of occupier
Date

Signature of manager
Date

Notes :

1. This form should be completed in ink in block letters or typed.
2. If power is not used at the time of filling up this form, but is introduced later, the fact should be communicated to the Chief Inspector of Factories immediately.
3. If any of the persons named against item 8 is minor, the fact should be clearly stated.
4. In the case of a factory where under the proviso to sub-sections (1) and (2) of section 100, a person has been nominated as the occupier, information required in item 8 should be supplied only in respect of that person.
5. In the case of a factory where a managing agent or agents have been appointed as occupiers under the Indian Companies Act, 1956, information required in item 8 should be supplied only in respect of that person or persons.

(परिशिष्ट – च)

":SCHEDULE -A

SCALE OF FEES PAYABLE PER YEAR FOR 'ORGIIONAL LICENCE & FOR RENEWAL OF LICENCE FOR THE FACTROIES OTHER THAN ELECTRICITY GENERATING, TRANSFORMING OR TRANSMITTING FACTORIES"-

Quantity ofH.P. installed (Max) up to	Maximum number of persons to be employed on any day during the											
	UPTO 9	From 10 to 20	21 50	51 to 100	101 to 250	251 to 500	501 to 750	751 to 1000	11001 to 1500	1501 to 2000	2001 to 3000	Above 3000
NIL	0	100	200	425	600	1025	1550	2275	2575	3100	4125	5175
10	100	200	425	675	1025	1550	2050	3100	3775	4475	5500	6900
50	200	425	675	1025	1550	2050	3100	4125	5175	6550	7225	8625
100	425	675	1025	1550	2050	3100	4125	5175	6550	7225	8625	1035
250	600	1025	1550	2050	3100	4125	5175	6550	7225	8625	1035	1292
500	1025	1550	2050	3100	4125	5500	7225	8625	1035	1292	15525	17250
1000	1550	2050	3100	4125	5500	4225	8625	10350	1292	1552	1725	1897
12000	2050	2575	3775	15500	7225	8625	10350	12925	1552	1725	1897	2070
5000	2575	3100	4125	6550	8625	10350	12925	15525	1725	1897	2070	2155
10000	3100	3775	5500	7575	10350	12925	13800	16200	1897	2070	2155	2310
15000	4125	4650	6900	9300	12400	14825	17250	19650	23100	2415	2582	2760
20000	5175	6200	8950	12400	16550	20000	20700	26900	131050	3220	3450	3795
Above 20000	11500	13900	18050	120925	23450	26450	29200	31050	3220	3450	3795	4025

The scale of fees payable for original licence shall be 50% more than the renewal of licence above

SCHEDULE-B
SCALE OF FEES PAYABLE FOR LICENCE AND ANNUAL RENEWAL OF LICENCE BY ALL ELECTRICITY GENERATING AND TRANSFORIMING FACTORIES

(a) Generating and transforming (including converting) Station (Factories) :-

	Total Installed Generating Capacity In K.W.	Fees Payable in Rupees	
		Generating stations	Transforming (including converting stations)
	1	2	3
Not exceeding	50	150	75
Not exceeding	100	275	150
Not exceeding	150	325	225
Not exceeding	300	450	275
Not exceeding	500	575	325
Not exceeding	750	800	450
Not exceeding	1000	900	575
Not exceeding	2500	1150	850
Not exceeding	5000	1725	1150
Not exceeding	10000	2000	1425
Not exceeding	25000	2300	1725
Not exceeding	50000	3450	2300
Not exceeding	75000	4600	2875
Not exceeding	100000	5750	3700
Not exceeding	150000	5750	4600
Not exceeding	200000	6900	5750
Not exceeding	300000	8050	7475
Not exceeding	300000	11500	9200

(b) Transmitting factories :
All transmitting Station

EXPLANATION

1. Where an electricity generating factory includes a transmitting or converting station or plant meant for receiving, transforming, converting or transmitting or electric power supplied from a source outside the generating station and which is not meant for transforming , converting or transmitting of power generated in the generating station itself, the fees payable shall be the sum of fees payable by the generating, transforming (including converting) and transmitting stations respectively calculated separately as if they were separate factories.

2. If any generating, transforming, converting or transmitting station is situated in a factory for which licence fees has been prescribed in schedule B and if it is meant for supplying power only to the said factory exclusively and is a part of the said factory the fees will be payable in accordance with schedule A and not schedule B and on the basis of the total rated horse power installed in the factory.

(परिशिष्ट – ज)

सूचना के अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारी

क.सं.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्र
	राज्य लोक सूचना अधिकारी	
1	मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स , राजस्थान जयपुर	समस्त राजस्थान
	राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी	
2	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, जयपुर रीजन	जयपुर, दौसा एवं टौंक जिले
3	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, अलवर	तिजारा तहसील को छोडकर समस्त अलवर जिला
4	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, जोधपुर	जोधपुर एवं जैसलमेर जिले
5	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द जिले
6	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, कोटा	कोटा, बारां एवं झालावाड जिले
7	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स , अजमेर	किशनगढ उपखण्ड को छोडकर अजमेर जिला एवं पाली जिला के सोजत एवं जैतारण उपखण्ड
8	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, भीलवाडा	भीलवाडा जिला
9	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, भिवाडी	तिजारा तहसील
10	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स , पाली	सोजत एवं जैतारण उपखण्ड को छोडकर समस्त पाली जिला
11	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर जिला एवं पीलीबंगा तहसील
12	वरिष्ठ निरीक्षक कारखना एवं बायलर्स, किशनगढ	किशनगढ उपखण्ड
13	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स,	बॉसवाडा, डूॅगरपुर जिले

	बॉसवाडा	
14	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, बीकानेर	बीकानेर जिला
15	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, चित्तौडगढ	चित्तौडगढ, प्रतापगढ जिले
16	निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, बालोतरा	बाडमेर जिला
17	निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर एवं करोली जिले
18	निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, हनुमानगढ	हनुमानगढ जिला (पीलीबंगा तहसील को छोडकर) जिला
19	निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, सीकर	सीकर, चूरू एवं झुंझुनु जिले
20	निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, मकराना	नागौर जिला
21	निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, बून्दी	बून्दी एवं सवाईमाधोपुर जिले
22	निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, सिरोही	सिरोही एवं जालौर जिले

परिशिष्ट – छ

कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारियों के नाम, पता व टेलीफोन न0 की सूची

कम सं	नम	पद	पता	स्थान	कोड	फोन (आ.)	निवास
1	एल.एल.आर्य	मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	6–सी, झालाना डूँगरी,	जयपुर	0141	2709659	2391836
2	एल.एन. करोल	उप मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स (मु.)	6–सी, झालाना डूँगरी,	जयपुर		2709616	
3	मुकेश जैन	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स (प्रषा.)	6–सी, झालाना डूँगरी,	जयपुर		2709616	
4	आर.सी.जिन्दल	उप मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	6–सी, झालाना डूँगरी,	जयपुर रीजन		2709897	
5	गोविन्दराम	उप मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स,	209–210, शान्ति कुंज,	अलवर	0144	2341574	2333246
6	वी.एस.भाटी	उप मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स,	ए–26, धर्म नारायण जी का हत्था,	जोधपुर	0291	2545693	
7	एस.एन.मोदी	उप मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स,	6–सी, झालाना डूँगरी,	जयपुर	0141	2709616	2761919
8	डी.के.चौधरी	उप मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	436, दादा बाडी, शास्त्री नगर	कोटा	0744	2500660	
9	चेतन कुमार	उप मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स,	62, बसन्त विहार, सेक्टर नं 5,	उदयपुर	0294	2463169	
10	अब्दुल सलीम	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	प्लॉट नं 182–183, ज्योति डेयरी, शास्त्री नगर,	अजमेर	0145	2427091	2640479
11	जी.डी.गोयल	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स,	रोडवेज बस स्टैण्ड के पीछे,	मदनगंज–किषनगढ (अजमेर)	01463	245917	
12	एच. के. गुप्ता	वरिष्ठ निरीक्षक,	101, वृन्दावन कॉलोनी, सुभाष	बॉसवाडा	02962	254903	

		कारखाना एवं बायलर्स,	नगर,				
13	एस.एम. पुरोहित	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स,	सी–135, होम गार्ड आफिस के सामने, सुभाष नगर,	भीलवाडा	01482	265291	
14	जे.आर.गौतम	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स,	4/218 राज0 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,	भिवाडी (अलवर)	01493	220782	
15	बी.के.चौधरी	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	491–केसरी भवन, रथखाना कॉलोनी,	बीकानेर	0151	2544709	
16	योगेष्वर व्यास	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स,	20–ए, प्रताप नगर,	चित्तौडगढ	01472	241213	
17	रमेष पुरोहित	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स,	पांच मौका पुलिया के पास, षिव मन्दिर के सामने,	पाली	02932	222299	
18	सुरेन्द्र सिंह	वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	202, बिनोबा बस्ती,	श्रीगंगानगर	0154	2470143	
19	शंकर लाल	निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स,	गांधीपुरा समदडी रोड,	बालोतरा	02988	222853	
20	–– रिक्त ––– अतिरिक्त प्रभार	निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स	रणजीत नगर रोड, नई मण्डी	भरतपुर	05644	236209	
21	आर.के.सोनी	निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स,	सर्किट हाउस के पास, कोटा रोड	बून्दी	0747	2442853	
22	–– रिक्त ––– अतिरिक्त प्रभार	निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स,	जिला उद्योग केन्द्र परिसर, बांई तरफ	हनुमानगढ	01552	260679	
23	शंकर लाल रैगर	निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स,	डाक बंगले के पास,	मकराना (नागौर)	01588	241348	
24	रिषभ जैन	निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स,	जी0 पी0 ओ0 के सामने,गांधी पार्क,	सिरोही	02972	220739	
25	–– रिक्त ––– अतिरिक्त प्रभार	निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स,	1/87 हाउसिंग बोर्ड, बस स्टैण्ड के पीछे	सीकर	01572	256892	